फरवरी तक भर सकेंगे सालाना जीएसटी रिटर्न

राहत...सीबीआईसी ने 2020-21 का सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 28 फरवरी की, करोड़ों कारोबारियों को सुविधा

नई दिल्ली। सरकार ने करोड़ों कारोबारियों को राहत देते हुए वित्तवर्ष 2020-21 का सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि कारोबारी 28 फरवरी, 2022 तक पिछले वित्तवर्ष का सालाना रिटर्न भर सकेंगे। पहले डेडलाइन 31 दिसंबर थी।

सीबीआईसी के अनुसार, पंजीकृत कारोबारी फॉर्म जीएसटीआर-9 और स्वप्रमाणित समाधान स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर-9सी 28 फरवरी तक दाखिल कर सकेंगे। जीएसटीआर-9 सालाना रिटर्न का सामान्य फॉर्म है, जिसे केंद्रीय जीएसटी 2017 की धारा 44(1) के तहत भरा जाता है। इसमें विभिन्न कर भुगतान के लिए आपूर्ति और खरीद का विरण होता है। वहीं जीएसटीआर-9सी, जीएसटीआर-9 और ऑडिट हो चुके सालाना वित्तवर्ष स्टेटमेंट का मिलान आंकड़ा होता है। ऐसे कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें हर साल जीएसटीआर-9 फॉर्म भरना अनिवार्य होता है, जबकि 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटीआर-9सी (समाधान स्टेटमेंट) दाखिल करना जरूरी होता है। ब्यूरो

02 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न भरना अनिवार्य

ईपीएफओ...31 दिसंबर के बाद भी कर सकेंगे ई-नॉमिनेशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भी अपने करोड़ों सब्सक्राइबर को राहत देते हुए ई-नॉमिनेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ईपीएफ खाताधारक अब 31 दिसंबर के बाद भी ई-नॉमिनेशन कर सकेंगे। ई-नॉमिनेशन के बाद खाताधारक के साथ किसी अनहोनी की स्थिति में उसके नॉमिनी को जल्द व आसानी से सभी लाभ मिल जाते हैं। ईपीएफ एक्ट के तहत सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट किया जाता है। इसमें पति-पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता, सास-ससुर, विधवा बहू व उसके बच्चों आते हैं।

छोटे ई-विक्रेताओं को जीएसटी पंजीकरण से छूट संभव

ई-मार्केटप्लेस पर अपने उत्पाद बेचने वाले छोटे कारोबारियों को सरकार जीएसटी पंजीकरण से छूट दे सकती है। शुक्रवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा की जा सकती है। अभी सालाना 40 लाख से कम टर्नओवर वाले खुदरा उत्पाद कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण से छूट मिलती है, जबकि सेवा कारोबारियों को 20 लाख सालाना टर्नओवर तक छूट दी जाती है। हालांकि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पाद या सेवा बेचने वाले सभी कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। मामले से जुड़े दो अधिकारियों का कहना है कि इससे एमएसएमई, पेशेवर, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

सोशल मीडिया पर भड़के करदाता, आईटीआर तिथि बढ़ाने की मांग

वित्तवर्ष 2020-21 का रिटर्न दाखिल करने का आज (31 दिसंबर) अंतिम दिन है और आखिरी समय में ई-फाइलिंग पोर्टल पर परेशानियां और बढ़ गई हैं। भड़के करदाता सोशल मीडिया पर गुस्सा उतार रहे हैं। एक करदाता ने ट्विटर पर लिखा, 31 दिसंबर की डेडलाइन सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए है या टैक्सपेयर के लिए। 31 दिसंबर तक तो चल जा। करदाताओं ने पोर्टल पर आ रही तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया था कि शाम तक 5 करोड़ रिटर्न भरे जा चुके हैं। हालांकि, अब भी करीब एक करोड़ करदाताओं ने रिटर्न नहीं भरा है। ऐसे में समय बढ़ने की पूरी उम्मीद है।

राज्यों ने पांच साल और मांगी जीएसटी क्षतिपूर्ति

कपड़ों पर दरें बढ़ाने का विरोध

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की बैठक से ठीक पहले राज्य सरकारों ने क्षतिपूर्ति की अवधि 5 साल और बढ़ाने की गुहार लगाई है। साथ ही कपड़ों पर जीएसटी की दर 5 से 12 फीसदी बढ़ाए जाने का भी विरोध किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, महामारी के दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था पांच साल आगे बढ़ाए। जीएसटी की वजह से राज्य को हुए 5,000 करोड़ के नुकसान की व्यवस्था भी केंद्र ने अभी तक नहीं की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, कई राज्य क्षतिपूर्ति का समय बढ़ाने के पक्ष में हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो कई राज्यों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाएगी। साथ ही पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पंजाब सरकार ने कपड़ों व जूतों पर जीएसटी दरें बढ़ाने का विरोध किया है और केंद्र से इसे वापस लेने की मांग की है। एजेंसी

- **दिल्ली में दुकानें बंद**...कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ बृहस्पतिवार को चांदनी चौक, गांधी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, ओखला, शांति मोहल्ला, पीतमपुरा, जोगीवाड़ा, रोहिणी सहित दिल्ली के 64 बाजार बंद रहे। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्चेंटाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भगवान बंसल ने कहा, महंगे कच्चे माल से कपड़े पहले ही 30% महंगे हो चुके हैं। अब जीएसटी की दर बढ़ने से उद्योगों को और नुकसान होगा।